निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 769) पटना, बुधवार, 30 अगस्त 2017

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

17 जुलाई 2017

सं० 18/लो०शि०नि०–14–04/2016–8737—बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–7695, दिनांक 30.05.2016 के परिशिष्ट–1 के बाद निम्नलिखित नए परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है:–

(क) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(क) के अनुसार नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, को शामिल करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(ख) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(ग) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(ग) के अनुसार कुछ लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा;

(घ) यथा संलग्न परिशिष्ट–1(घ) के अनुसार वैसी नए योजनाएँ/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)769-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in